one application in Nagaland for setting up of Vanaspati unit of a capacity of 15,000 MT per annum and one application for setting up of Vanaspati plant in Haryana for a capacity of 15,000 MT per annum have been recommended to the Deptt. of Industrial Development for issue of Letter of Intent. The Letters of Intent have not been issued so far.

Machine Stitching of Wheat and Rice Bags

511. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what efforts have been made for implementation of the policy of machine stitching of 100 per cent bags of wheat and rice procured by Food Corporation of India and other Government procuring agents all over the country;

(b) how much quantity has been actually machine stitched in the last procurement season this year;

(c) whether Government are satisfied with the results and if not what further steps are proposed to be taken to achieve 100 per cent machine stitching of bags with a time-bound programme; and

(d) by when this programme is likely to be fully achieved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) to (d) In view of the vast magnitude of price support operations involving about 8000 purchase centres run by Food Corporation of India and State procuring agencies for procurement of wheat and 18768 rice mills (as on 1.1.86) from whom levy rice is collected, it is not practicable to fix any target for machine-stitching of gunny bags containing wheat and rice procured. However, attempts are being made to extend machine stitching and incentives are being given to popularise this. The current maximum ceiling for double-line machine-stitching of wheat bags is 0.70 paise per bag and for levy rice it is 0.60 paise per bag. As such, machine-stitching of levy rice bags is voluntary. As regards machine-stitching of wheat bags, services of mandi labour contractors/kaccha-arthias have also been permitted to be utilised subject to the prescribed ceiling. A statement showing the progress of machine-stitching of bags in respect of levy rice and wheat during the current marketing seasons and previous seasons is attached. [*See* Appendix CLV, Annexure No. 15A]

दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिये अपर्याप्त सुविधाएं

512. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ए नाइटमेयर फॉर रेल पेसेन्जर्स" नामक शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली/नई दिल्ली स्टेशनों पर यात्रियों को पेश आ रही कठिनाइयों, इन स्टेशनों के रख-रखाव में कमियों तथा टिकटों की बिक्री में काला बाजारी का विस्तार से वर्णन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं को हल करने के लिये तथा यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज़): (क) जी हां। छपा समाचार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संबंध में है।

(ख) यात्रियों के लिए स्टेशन पर विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं के अनुरक्षण पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है। पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है जिसमें गर्मियों के मौसम के दौरान पीने का ठन्डा पानी सप्लाई करने के लिए प्रत्येक प्लेटफार्म पर लगे हुए चार-चार जल शीतक भी शामिल हैं। उपयुक्त स्थलों पर समुचित संख्या में शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था की गयी है। स्टेशन पर सफाई बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे सफाई वाले तैनात किये गये हैं।

अमानती सामान पर लगने वाली पंक्ति को छोटा करने के लिए सामान जमा कराने की प्रक्रिया सरल बना दी गयी है और सामान लेने के लिए दो काउंटर परिचालित किये जा रहे हैं।

लाइसेंसधारी वेंडरों द्वारा निर्धारित दर से बहुत अधिक पैसा लेने की रोकथाम के लिए ट्रालियों/स्टालों पर दर-सूचियां प्रदर्शित की जाती हैं। निर्धारित दर से अधिक

पैसा लेने की रोक थाम तथा खान-पान/वेंडिंग सेवाओं में गुणवत्ता और उपयुक्त स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बार-बार जांच की जाती है।

बिना टिकट यात्रियों, छिपकर बैठे यात्रियों, भिखारियों, अनधिकृत कुलियों को पकड़ने तथा बिना बुक किये गये सामान आदि की ढुलाई का पता लगाने के लिए नियमित रूप से जांच की जाती है और रेल अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। 1-7-1990 से लागू हुए नये रेल अधिनियम में संगत उपबंधों को और अधिक कड़ा बना दिया गया है।

दिल्ली क्षेत्र के लिए निजामुद्दीन और दिल्ली मेन रेलवे स्टेशनों से ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां चलायी जाती हैं क्योंकि नई दिल्ली स्टेशन पर परिचालन संबंधी तंगी है।

Provision of Basic Amenities in Sadatpur, Sonia Vihar, Delhi

513. SHRIMATI SURYAKANTA PATIL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an unauthorised colony village names "Sadatpur-Sonia Vihar" has not yet been provided with any basic amenities like roads and electricity since its existence near Wazirabad bridge;

(b) if so, what are the reasons thereof;

(c) what steps are being taken to provide basic amenities to residents of this village/colony;

(d) whether it is also a fact that residents of this village/colony have submitted a memorandum in that regard; and

(e) if so, what action has been taken on the memorandum?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (e) Sonia Vihar is an unauthorised colony which has recently come up in the low lying area near the river bund North of Wazirabad. Representations for provision of civic amenities in this colony have been received but being an unauthorised colony, it is not eligible for such amenities. Arrangement has, however, been made for supply of drinking water through 12 public hydrants.

बेहतर दिल्ली के लिए अभियान

514. **श्री शांति त्यागी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने "बेहतर दिल्ली अभियान" आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के उद्देश्य तथा इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस अभियान पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि नागरिक सुविधाओं में गुणात्मकता तथा परिमाणात्मकता दोनों दृष्टि से सुधार करने के लिए उन क्षेत्रों, जिन्हें अब तक शामिल नहीं किया गया है, में भी ऐसी ही सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से 30 जून तक एक अभियान चलाया गया था।

(ग) यह अभियान ऐसी नागरिक सेवाओं के लिए सामान्य बजट प्रावधान का उपयोग करके आरम्भ किया गया था।

Child Labour In The Country

515. SHRI KAHNU CHARAN LENKA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one third of the total number of child labour in the world is in India;

(b) if so, the state-wise details thereof;

(c) whether it is a fact that the child labourers are also working in the hazardous industries; and

(d) if so, the names of those industries and the number of children working therein?

THE MINISTER OF LABOUR AND